141

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 951—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—07—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 205/2007—08/अपील

.....

1— प्रकाश पुत्र लालपत

2— रामजी पुत्र लालपत

निगवासीगण— ग्राम कीरतपुर, सबलगढ़

जिला—मुरैना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

अंगद (मृतक)वारिसानः—

1— सियाराम पुत्र स्व0 अंगद

निवासी— ग्राम कीरतपुर, सबलगढ़

जिला—मुरैना

2— सावित्री पत्नी गोरेलाल पुत्री स्व0 अंगद

निवासी— सेमई तहसील कैलारस, जिला—मुरैना

..... अनावेदकगण

.....

श्री भूपेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकग
अनावेदकगण अभिभाषक श्री एस0 पी0 धाकड

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-11-16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—07—2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेकद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील सबलगढ़ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सर्वे क्र0 532 शासकीय होना तथा उसमें आने–जाने का रूढ़िगत रास्ता होने का अभिवचन करते हुये, निवेदन किया कि आवेदकगण द्वारा उक्त रास्ते के संबंध में पूर्व में दिनांक 22.05.06 को तहसीलदार सबलगढ़ के प्रकरण क्रमांक 1अ/03/2005–06 में राजीनामा किया गया था और अनावेदक को सर्वे क्र0 532 से होकर आने–जाने नहीं दिया जा रहा है। अतः रास्ता दिलाया जावे। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा अनावेदक के आवेदन के आधार पर मौके की जांच कराई जाकर जांच प्रतिवेदन मंगाया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल की जांच कर प्रतिवेदन मय पंचनामा तहसीलदार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मय पंचनामा के अनुसार दिनांक 17.10.07 को स्थल निरीक्षण किया गया है। जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत एवं उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 22.05.06 विचार किये जाने के उपरांत यह निष्कर्ष देते हुये कि उक्त राजीनामा के विरूद्ध कोई अपील नहीं होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुआ राजीनामा अंतिम हो चुका है और उक्त राजीनामा का पालन करने के लिये उभयपक्ष बाध्य है। तहसील न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाकर अनावेदक के आवेदन पत्र अंतर्गत संहिता की धारा 132 को अपने आदेश दिनांक 20.11.07 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 04/2007–08/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 द्वारा निरस्त कर दी गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 205/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 16–07–2009 द्वारा अनावेदक की अपील को स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 16.07.09 विधि के विपरीत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्व न्यायालय में विवादित वाद विषय के संबंध में यदि व्यवहार न्यायालय में किसी भी

पक्ष के द्वारा सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो तो उसी वाद विषय के संबंध में राजस्व न्यायालयों पर व्यवहार न्यायालयों का आदेश बंधनकारी होता है एवं राजस्व न्यायालयों के निर्णय के अधीन होते है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में आवेदकगण के द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है और उक्त आपत्ति के प्रभाव को निर्ण करते समय विचार में नहीं लिया गया है । इसके अलावा प्रकरण प्रारंभिक आपत्ति के जवाब व बहस हेतु नियत होने के बावजूद मनमाने रूप से निराकृत कर आवेदकगण को अपील प्ररकण में गुण–दोंषों पर बहस करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 22.05.06 को समझे बिना ही यह मान लिया है कि उक्त राजीनामा सर्वे क्र0 532 में तथाकथित रास्ता होने के संबंध में किया गया था, जबकि वास्तवितकता यह है कि राजीनामा की शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कुंआ व खेतों पर आने–जाने के संबंध में उन्हीं रास्तों से आने जाने का राजीनामा हुआ था जो रास्ते पूर्व से बने थे। कोई नया रास्ता निर्मित करने के संबंध में कोई राजीनामा उभयपक्ष के मध्य नहीं हुआ था। चूँकि सर्वे क्र0 532 में पूर्व से खलिहान राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर उक्त सर्वे क्र0 532 की भूमि का उपयोग खलिहान के रूप में आवेदकगण द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में सर्वे क्र0 532 में से राजीनामा दिनांक 22.05.2006 के आधार पर रास्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है एवं उक्त सर्वे क्र0 532 में से रास्ता अनावेदक को रोके जाने पर संहिता की धारा 132 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता है। उपरोक्त आधार आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16.07.09 निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.09 को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

4/ अनावेदक अंगद की मृत्यु हो चुकी है। अतः आवेदक द्वारा अनोवदक के वैध वारिसानों की जानकारी प्रस्तुत करने के लिये समय चाहा गया था। न्यायहित में समय दिया गया।

5/ मेरे द्वारा आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका जिसमें विचारण न्यायालाय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनाक 22.05.06 की छायाप्रति संलग्न है, का अवलोकन किया । अनावेदक अंगद द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र

इसें आशय का पेश किया गया था कि आवेदकगण रूढ़िगत रास्ते पर कब्जा करके अवरोध उत्पन्न कर रहें है, अवरोध को हटाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर प्ररकण क्रमांक 01/2005–06/अ–13 पर दर्ज करते हुये कार्यवाही प्रारंभ की। प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही के दौरान आवेदकगण तथा अनावेदक के मध्य राजीनामा हो गया और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2006 को प्रचलित प्रकरण को राजीनामा के अनुसार समाप्त किया गया है। आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2006 बिना जांच एवं बिना स्थल निरीक्षण के है । यही बात विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2007 एवं अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2008 में उठाई गई है और आवेदन पत्र एवं प्रथम अपील को निरस्त किया है।

6/ विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2006 का अवलोकन किया । विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आवेदकगण के अभिभाषक को दी गई और जवाब चाहा गया । इसके आगे लिखा है कि राजस्व निरीक्षक के स्थल जांच कर वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु निर्देशिर्तत कियश। प्रकरण में प्रचलित प्रक्रिया के दौरान आवेदकगण एवं अनावेदक के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा को आधार मानकर राजीनामें में लिखी गई शर्तों के आधार पर ही प्रकरण को समाप्त कर दिया गया । यदि प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया जाता तो राजस्व निरीक्षक को स्थल निरीक्षक कर जांच रिपोर्ट भेजने से स्पष्ट निर्देश प्रकरण में हो चुके थे। ऐसी स्थिति में स्थल निरीक्षण न किये जाने का सहारा लेकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैध करार देना उचित नहीं और न ही इसका लाभ दिया जा सकता है । विचारण न्यायालाय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को ही आदेश का अंग मानकर प्रकरण में राजीनामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 22.05.2006 से प्रकरण समाप्त कर दिया गया । इसमें विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है ।

7/ अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदकगण द्वारा बाधा पहुंचाये जाने के कारण ही संहिता की धारा 131 कि तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। पुनः आवेदकगण द्वारा अनावेदक के रास्ते को अवरूध किया गया था, तो अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 132 के अन्तर्गत अमल कराये जाने का अनुरोध किया गया था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गलत

आशय निकाल कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 132 का निरस्त कर दिया गया। आवेदन पत्र को मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया कि प्रकरण राजीनामा में समाप्त किया गया है, कोई आदेश नहीं दिया गया। जहां उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाता है तो उसका यह आशय नहीं निकाला जाना चाहिये कि प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । राजीनामा में जो बाते लिखी होती है, वही राजीनामा आदेश का अंगत होता है । यह आवश्यक नहीं है कि पुनः उसी तथ्यों को आदेश में दोहराया जावे। यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कुछ अंश नहीं लिखे जा सके तो यह नहीं माना जावेगा की आदेश सही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.05.2006 में राजीनामा आवेदन पत्र में लिखी गई वे समस्त बातों का हवाला दिया गया है, जिसके आधार पर उभय पक्षकारों के मध्य राजीनामा हुआ था । ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2006 को समझने में भूल की है। अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने में को त्रुटि नहीं की है। मैं अपर आयुक्त के इस निर्णय से सहमत हूँ ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह विधि के अनुकूल न होने से अपास्त किया जाता है। अतः अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2009 तर्कसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर